Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 147-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 22, 2017 (SRAVANA 30, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 अगस्त, 2017

संख्या 75/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में,–

(i) सारणी में,–

(क) क्रम संख्या 9 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9 क	अध्याय 99	भारत के आतिथेय में होने वाले फीफा यू–17 विश्वकप के अधीन प्रत्यक्ष रुप से अप्रत्यक्ष रुप से किन्हीं आयोजनों से सम्बन्धित फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबाल एशोसिएशन (एफ.आई. एफ.ए.) और इसकी सहायकियों के द्वारा और इनको प्रदान की गई सेवाएं।	कुछ नहीं	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा कार्यकलाप और खेल मंत्रालय, के द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ये सेवाएं फीफा यू–17 विश्व कप 2017 के अधीन प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से किन्हीं आयोजनों से संबंधित हैं।";

(ख) क्रम संख्या 11 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11 क	शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962	किसी कमीशन या मार्जिन के रुप के बदले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं, चावल और मोटे अनाज की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11 ख	शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962	किसी कमीशन या मार्जिन के रुप के बदले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल इत्यादि की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं" ;

(ग) क्रम संख्या 35 के सामने, खाना (3) में,–

(अ) मद (ज) में, "मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" शब्दों के स्थान पर, "पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्लूसीआईएस)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(आ) मद (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(ञ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.);"

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा:–

"(iii) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केंद्रीय अधिनियम 6) के उपबंधों के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत "सीमित दायित्व भागीदारी" को एक भागीदारी फर्म या किसी फर्म के रुप में भी माना जाएगा।"।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 22nd August, 2017

No.75/ST-2.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

(i) in the Table,-

(a) after serial number 9 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9A	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017.";